

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो०-41/2025- 03 अप्रैल
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 30 अप्रैल, 2025

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर।

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/दरभंगा/बेतिया अंचल, बेतिया/
रामनगर अंचल, बेतिया/पूर्णिया/मोतिहारी/मुजफ्फरपुर/सीवान।

विशेष ईख पदाधिकारी, पटना/गोपालगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना के लिए स्वीकृत कुल 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रुपये के विरुद्ध 33% राशि मो० 52,80,000.00 (बावन लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-51 स्वी०/सी.सी. दिनांक-28.04.2025 द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रुपये की योजना का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि कुल 160.00 लाख रुपये के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में 33% राशि कुल मो० 52,80,000.00 (बावन लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र का आवंटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची परिशिष्ट-I) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की निकासी हेतु बजट शीर्षवार विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबधित राशि	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि (33 प्रतिशत)
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852082010103, विषय शीर्ष-13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान।	5789000.00	5789000.00	1910370.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-789-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0101 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852087890101 विषय शीर्ष-13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान।	1120000.00	1120000.00	369600.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-796-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0102 आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 45-2852087360102 विषय शीर्ष-13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान।	91000.00	91000.00	30030.00
योग (क) -	7000000.00	7000000.00	2310000.00

मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852082010103, विषय शीर्ष-20 02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार।	4962000.00	4962000.00	1637460.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-789-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0101 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852087890101 विषय शीर्ष-20 02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार।	960000.00	960000.00	316800.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-796-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0102 आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 45-2852087360102 विषय शीर्ष-20 02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार।	78000.00	78000.00	25740.00
योग (ख) -	6000000.00	6000000.00	1980000.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852082010103, विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।	2481000.00	2481000.00	818730.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-789-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0101 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852087890101 विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।	480000.00	480000.00	158400.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-796-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0102 आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 45-2852087360102 विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।	39000.00	39000.00	12870.00
योग (ग) -	3000000.00	3000000.00	990000.00
योग:- (क) + (ख) + (ग) =	16000000.00	16000000.00	5280000.00

- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है।
- स्वीकृत्यादेश संख्या-51 स्वी०/सी.सी. दिनांक-28.04.2025 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्रित पदाधिकारी होंगे।
- उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-41/2025-03972

पटना, दिनांक- 30 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतिहारी/सीवान/समस्तीपुर/पूर्णिमा/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार

क्रमशः

ज्ञापांक-01/बजट-यो-41/2025- 03 अप्रैल

पटना, दिनांक- 30 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि- महालेखाकर, बिहार, पटना (विवरणी सहित)/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो-41/2025- 03 अप्रैल

पटना, दिनांक- 30 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-I

राज्य योजना अंतर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना का वर्ष 2025-26 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं घटकवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध विपत्र कोड-45-2852082010103, 45-2852087890101 एवं 45-2852087960102 के अंतर्गत श्रेणीवार आवंटित राशि

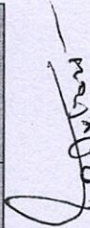
क्र.सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम/कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष- 13 10 माई की गाड़ी का मुगतान						विषय शीर्ष- 20 02 कांफ्रेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार					
		विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त भ्रमण पर व्यय (33% आवंटित राशि)						प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के प्रसार हेतु इन्वेंटर भेंट/सेमिनार एवं अन्य आवश्यक विषय पर सेमिनार तथा कांफ्रेंस/विहार दिवस-2025 के अवसर पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टील/प्रदर्शनी/कृषक प्रशिक्षण इत्यादि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वजनबद्ध राशि (33% आवंटित राशि)					
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सहायक ईलायुक्त, उ० बि०, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ईछ पदाधिकारी, समस्तीपुर	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	27291.00	5280.00	429.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ईछ पदाधिकारी, गोपालगंज	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	27291.00	5280.00	429.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ईछ पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	13646.00	2640.00	214.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ईछ पदाधिकारी, भेतिया अंचल भेतिया	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	27291.00	5280.00	429.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ईछ पदाधिकारी, रामनगर अंचल भेतिया	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	27291.00	5280.00	429.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ईछ पदाधिकारी, पूर्णियाँ	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	13646.00	2640.00	214.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ईछ पदाधिकारी, मोतिहारी	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	13646.00	2640.00	214.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ईछ पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	27291.00	5280.00	429.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ईछ पदाधिकारी, सिवान	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	27291.00	5280.00	429.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	विशेष ईछ पदाधिकारी, पटना	85967.00	16632.00	1351.00	103950.00	27291.00	5280.00	429.00	33000.00	1637460.00	316800.00	25740.00	1980000.00
12	विशेष ईछ पदाधिकारी, गोपालगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, पटना	792523.00	153331.00	12466.00	958320.00	26199.00	5069.00	412.00	31680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	1652193.00	319651.00	25976.00	1997820.00	258174.00	49949.00	4057.00	312180.00	1637460.00	316800.00	25740.00	1980000.00

(अनिल कुमार झा)
ईलायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-I

राज्य योजना अंतर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना का वर्ष 2025-26 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं घटकवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध विपन्न कोड-45-2852082010103, 45-2852087890101 एवं 45-2852087960102 के अंतर्गत श्रेणीवार आवंटित राशि (रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम/कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष- 13 01 कार्यालय व्यय								कुल योग			
		योजना का प्रचार-प्रसार/कम्प्यूटीकरण/मुद्रण आदि हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता (33% आवंटित राशि)											
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	सहायक ईलायुक्त, उ० बि०, मुजफ्फरपुर	5458.00	1056.00	86.00	6600.00	5458.00	1056.00	86.00	6600.00				6600.00
2	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	19104.00	3696.00	300.00	23100.00	132362.00	25608.00	2080.00	160050.00				160050.00
3	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	19104.00	3696.00	300.00	23100.00	132362.00	25608.00	2080.00	160050.00				160050.00
4	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा	13646.00	2640.00	214.00	16500.00	113259.00	21912.00	1779.00	136950.00				136950.00
5	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया	19104.00	3696.00	300.00	23100.00	132362.00	25608.00	2080.00	160050.00				160050.00
6	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया	19104.00	3696.00	300.00	23100.00	132362.00	25608.00	2080.00	160050.00				160050.00
7	ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ	13646.00	2640.00	214.00	16500.00	113259.00	21912.00	1779.00	136950.00				136950.00
8	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	19104.00	3696.00	300.00	23100.00	118717.00	22968.00	1865.00	143550.00				143550.00
9	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	19104.00	3696.00	300.00	23100.00	132362.00	25608.00	2080.00	160050.00				160050.00
10	ईख पदाधिकारी, सिवान	19104.00	3696.00	300.00	23100.00	132362.00	25608.00	2080.00	160050.00				160050.00
11	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	5458.00	1056.00	86.00	6600.00	1756176.00	339768.00	27606.00	2123550.00				2123550.00
12	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	5458.00	1056.00	86.00	6600.00	5458.00	1056.00	86.00	6600.00				6600.00
13	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, पटना	641339.00	124080.00	10081.00	775500.00	1460061.00	282480.00	22959.00	1765500.00				1765500.00
	कुल योग	818733.00	158400.00	12867.00	990000.00	4366560.00	844800.00	68640.00	5280000.00				5280000.00


(अनिल कुमार झा)
ईलायुक्त, बिहार।